रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 अगस्त, 2023 ई० (भाद्रपद 04, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

कार्यालय, जिला पंचायत, गोण्डा

09 अगस्त, 2023 ई०

सं0 390/एल0बी0ए0(उपविधि)/2023–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, गोण्डा द्वारा जनपद गोण्डा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें, व्यापारियों/दुकानदार/फर्म/कारखाना मालिक को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु शासन के पत्र संख्या 1152/33–2–2017–62जी/17 पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के अनुरूप पूर्व सृजित की गई विभिन्न उपविधियों में एकरूपता लाये जाने के अनुरूप उपविधि बनायी गयी है जो जिला पंचायत, गोण्डा की बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2018 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है। जिला पंचायत गोण्डा द्वारा उक्त उपविधि के जनसामान्य हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किया गया, परन्तु कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् उक्त उपविधि को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु अनुमोदित किया जाता है। संशोधित दरें राजकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगी–

क0सं0	मद का नाम	वर्तमान में प्रचलित दर	शासन द्वारा संशोधित निर्धारित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	चीनी मिल	5,750.00	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	–	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	–	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	–	2,500.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा

CamScanner
CamScanner

1	2	3	4
		रु0	रु0
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	–	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	–	1,000.00
7	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	–	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	–	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस शेलर)	1,725.00	2,500.00
10	एक्सपेलर	115.00	500.00
11	आरा मशीन	575.00	2,000.00
12	खराद मशीन	290.00	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	–	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	–	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	–	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भठ्ठी)	–	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (दो सौ सिल्ली तक)	575.00	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	–	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	–	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	–	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	–	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	–	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	–	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	–	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	–	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	–	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	–	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	–	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई अधिक)	–	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	–	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग तक)	–	10,000.00
32	फल,सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग से अधिक क्षमता पर)	–	15,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा

CamScanner

CamScanner

	2	3	4
		रु0	रु0
	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	–	5,000.00
34	हॉटमिक्स प्लान्ट	–	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएँ बनाने का कारखाना	–	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	–	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	–	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	–	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील,शीशा, ताँबा व टीन आदि से वस्तुएँ बनाना।	–	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	–	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	–	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	–	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	–	10,000.00
44	खण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	–	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	–	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप ,टैंक बनाने का कारखाना	–	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	–	4,000.00
48	कपडा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	–	2,000.00
49	कपडा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	–	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	–	10,000.00
51	फ्लोर मिल	–	10,000.00
52	दाल मिल	–	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	–	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	–	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	–	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	–	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	–	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	–	7,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा

CamScanner

CamScanner

1	2	3	4
		रु0	रु0
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	—	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	—	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	—	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	—	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	—	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	—	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	—	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर का कारखाना	—	8,000.00
71	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	—	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	—	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	—	6,000.00
74	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	—	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	—	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	—	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	—	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	—	2,000.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	—	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	—	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	—	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	—	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	—	10,000.00
86	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	—	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	—	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	—	50,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा

CamScanner

CamScanner

	2	3	4
		रु0	रु0
0	तार बनाने का कारखाना	—	15,000.00
1	तार की जाली बनाने का कारखाना	—	3,500.00
2	लालटेन बनाने का कारखाना	—	3,000.00
3	रेगमाल बनाने का कारखाना	—	4,000.00
4	बैट्री बनाने का कारखाना	—	5,000.00
5	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	—	5,000.00
6	रंग बनाने का कारखाना	—	5,000.00
7	गम, टेप बनाने का कारखाना	—	4,000.00
8	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00
9	निकिलपॉलिश (प्लेटिंग) करने का कारखानों	—	5,000.00
0	राँगा बनाने का कारखाना	—	5,000.00
1	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00
12	हड्डी मिल	1,150.00	25,000.00
13	सरेश मिल	—	5,000.00
14	पेट्रोल मिल	2,300.00	4,000.00
15	डीजल मिल	2,300.00	5,000.00
16	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	—	25,000.00
17	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	—	2,000.00
08	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	—	2,500.00
09	सिनेमा हाल	1150.00	4,000.00
10	विडियो सिनेमा हाल	575.00	2,500.00
11	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	—	3,000.00
2	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000.00
3	रेडीमेड गारमेंट्स का कारखाना	—	15,000.00
4	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000.00
	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	—	1,00,000.00
	ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री	—	20,000.00
	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000.00
	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा

CamScanner

CamScanner

1	2	3	4
		रु0	रु0
119	जूटसन व नायलान बनाने का कारखाना	–	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	–	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	–	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी बनाने का कारखाना	–	25,000.00
123	जैविक कारखाना	–	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये तक)	3450.00	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	3450.00	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	–	15,000.00
127	सूक्ष्म कुटीर उद्योग MICRO (1) 5 लाख तक – 1,000.00 (2) 10 लाख तक– 2,000.00 (3) 15 लाख तक– 3,000.00 (4) 20 लाख तक– 4,000.00 (5) 25 लाख तक– 5,000.00	128 लघु उद्योग SMALL (1) 25 लाख से 1 करोड़ तक (2) 1 करोड़ से 2 करोड़ तक (3) 2 करोड़ से 3 करोड़ तक (4) 3 करोड़ से 4 करोड़ तक	8,000.00 11,000.00 14,000.00 17,000.00 20,000.00
129	मध्यम उद्योग Medium (1) 5 करोड़ से 6 करोड़ तक–26,000.00 (2) 6 करोड़ से 7 करोड़ तक–32,000.00 (3) 7 करोड़ से 8 करोड़ तक–38,000.00 (4) 6 करोड़ से 7 करोड़ तक–44,000.00 (5) 6 करोड़ से 7 करोड़ तक–50,000.00	130 भारी उद्योग Heavy (1)10 करोड़ से 11 करोड़ तक (2)11 करोड़ से 12 करोड़ तक (3)12 करोड़ से 13 करोड़ तक (4)13 करोड़ से 14 करोड़ तक (5)14 करोड़ से 15 करोड़ तक	60,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00 1,00,000.00
131	आटा चक्की, स्पेलर हाल, चूरा मशीन, रूई मशीन किसी प्रकार की हो, कपड़ा परचून की सम्मलित दूकान, गल्ले किराने की बड़ी दूकान, मेडिकल स्टोर, कापी पुस्तक की बड़ी दूकान, बर्तन की बड़ी दूकान (पीतल तांबा) घड़ी बिक्री, रेडियो लाउडस्पीकर की दूकान बिक्री, कार जीप ट्रैक्टर ट्रक की मरम्मत, सीमेन्ट की दूकान, केवल सरिया की दूकान, पम्पिंग सेट इंजन एवं पार्टस की बिक्री, धर्म कांटा, वीडियो किराये पर देने पर वीडियो कैसेट व टेप की बड़ी दूकान, आलू व्यवपारी, टेण्ट शामियाना, फर्नीचर मोटर पार्टस की दूकान, डनलप ट्राली बनाने व मरम्मत प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने पर बिस्कुट बेकरी बनाने पर साबुन/सर्फ बनाने पर डीजल/पेट्रोल फुटकर व्यवसाय पर रंदा के मशीन/कारखाना पर बिजली के सामानों की बिक्री की दूकान	115.00	135.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गोण्डा

CamScanner

CamScanner

	2	3	4
		रु0	रु0
132	आईस कैण्डी, प्लाई वुड फैक्ट्री, गैस सिलेण्डर स्टोर गोदाम टूरिंग सिनेमा, अस्थाई, पत्थर अथवा ईंट की रोड़ी बनाने के कारखाने पर देशी/अंग्रेजी शराब अल्कोहल व अन्य द्रव्य बनाने पर मशीनरी स्टोर के व्यवसाय पर	575.00	670.00
133	कपड़ा पर परचून की पृथक-पृथक दूकान, किराने की छोटी दूकान, कापी पुस्तक की छोटी दूकान, चाय पान की सम्मिलित दूकान, शरबत लस्सी, व सोडा वाटर/कोल्डड्रिंक की दूकान घी की दूकान (देशी व डालडा) लकड़ी की दूकान (जलौनी) होटल हलवाई की दूकान साईकिल, बिसातखाना की दूकान, मछली की दूकान, साईकिल मरम्मत बर्तन की दूकान (एल्यूमिनियम) रेडियो लाउडस्पीकर मरम्मत, टी0वी0 मरम्मत, मोबिल की दूकान, कपड़े की रंगाई, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की दूकान, बालू मोरंग की दूकान, वर्निस पेंट की दूकान, खाद की छोटी दूकान, रस्सी बांध की दूकान लाटरी की दूकान अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने पर, सोना चांदी आभूषण मरम्मत	60.00	80.00
134	सोने चांदी की बिक्री, साईकिल की दूकान नई बिक्री, गांजा भांग आदि की बड़ी दूकान, सुर्खी बनाने के कारखाने पर रबड़ की वस्तुएं बनाने पर (टायर ट्यूब) चीनी मिट्टी के बर्तन, क्राकरी, चूड़ी एवं कांच की वस्तुएं, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, टीन स्टील, शीशी धातु की वस्तुएं, फर्टीलाइजर अथवा कीटाणुनाशक उपकरण बनाने पर, तेजाब/स्प्रिट बनाने पर कृषि सम्बन्धी यन्त्र बनाने के उद्योग पर खाद की बड़ी दूकान 100 बोरी से अधिक	230.00	270.00
135	लोहे की बड़ी दूकान चारा मशीन सहित, टी0वी0 बिक्री, वर्मा मशीन, बिल्डिंग मशीन पर लकड़ी का फर्नीचर उद्योग व अन्य पर	175.00	210.00
136	चाय व पान की पृथक-पृथक दूकान सहित दोनों पर फल की दूकान	35.00	50.00
137	ईंधन हेतु कोयला की दूकान, हवा मशीन (कम्प्रेसर)	90.00	110.00
138	फेरी की दूकान सब्जी की दूकान, घड़ी साज मरम्मत, हेयर कटिंग सैलून, बिजली की मरम्मत, पम्पिंग सेट की मरम्मत	30.00	40.00
139	सिलाई मशीन की दूकान	65.00	75.00
140	मिट्टी तेल की दूकान	100.00	115.00
141	पशुबाजार मासिक, दूध का पाउडर अथवा दूध से पदार्थ बनाने पर	290.00	350.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा

CamScanner

CamScanner

1	2	3	4
		रु0	रु0
142	हड्डी पिसाई कारखाना पर, सिनेमा स्थाई	1,150.00	1,350.00
143	कागज अथवा दफ्ती बनाने पर, पशु बाजार वार्षिक, फल सब्जी एवं अन्य खाद्य वस्तुओं का संरक्षण (कोल्ड स्टोरेज) पेट्रोल/डीजल पम्प के व्यवसाय पर	2,300.00	2,700.00
144	देशी/अंग्रेजी व अन्य द्रव्य बीयर शराब के व्यवसाय पर, धान कुटाई मशीन चल अचल पालेसर	1725.00	2,000.00
145	देशी/अंग्रेजी शराब एल्कोहल बनाने की फैक्ट्री	28,750.00	50,000.00
146	वनस्पति घी/तेल बनाने पर इसके साथ रिफाइन्ड तेल बनाने पर	2,875.00	3,350.00
147	आसवनियो (डिस्टलेरीज)	11,500.00	13,250.00
148	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (मनकापुर)	11,500.00	13,250.00
149	पशु बाजार वार्षिक जिनका संचालन 5 वर्ष से अधिक अवधि से हो रहा है	2,900.00	3,350.00
150	प्लास्टिक, चादरें बनाने पर इसके साथ कंक्रीट के पोल पर भी शुल्क	57,500.00	57,500.00
151	मोबाइल की दूकान	–	1,000.00
152	बैट्री की बिक्री/मरम्मत दूकान	–	500.00
153	बैट्री बिक्री	–	1,000.00
154	गैस सिलेण्डर की बिक्री/मरम्मत	–	500.00
155	टेलर्स की दूकान	–	200.00
156	मोटर साईकिल की दूकान	–	200.00
157	हार्डवेयर की दूकान टाइल्स	–	2,000.00
158	ट्रैक्टर की एजेन्सी	–	5,000.00
159	गाड़ी धुलाई	–	200.00
160	नमकीन फैक्ट्री	–	1,000.00
161	सौर उर्जा के यंत्र की दूकान	–	500.00
162	ब्यूटी पार्लर की दूकान	–	500.00
163	आटा, चावल, दाल, तेल मिल पर (लघु)	–	5,000.00
164	आर0ओ0 प्लान्ट	–	1,000.00
165	पिपिरमेन्ट प्लान्ट	–	1,000.00
166	अन्य व्यवसाय पर	–	1,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गोण्डा

CamScanner

CamScanner

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, गोण्डा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लघंन करने पर उल्लघनकर्ता का दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थ दण्ड न अदा करने पर विधिक कार्यवाही कर तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

योगेश्वर राम मिश्र,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

कार्यालय जिला पंचायत, फर्रुखाबाद

मानक उपविधि (Standard Bye-Laws)

20 जुलाई, 2023 ई0

सं0 2744/23–जि0पं0–उपविधि/2023–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा-239 (1) एवं धारा-239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदप्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत, फर्रुखाबाद ने ग्राम्य क्षेत्र, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है–

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिगृहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरुम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतः सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे–रसोई, स्नानगृह, विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

CamScanner

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा

CamScanner